न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—362 / 2018 / 225 (2018 / 00362)

1. मोहनलाल पुत्र हरदेव, जाति माली, निवासी ग्राम भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र उगमा,
2. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल,
3. गणपत पुत्र हीरालाल,
4. महावीर पुत्र हीरालाल,
5. प्रेम पुत्र हीरालाल,
6. कमला पुत्र हीरालाल,
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम भिनाय, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 19.6.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 50 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश कुमार, वकील अपीलांट ।
2. श्री हीरालाल माली एवं श्री वकील मौहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश दिनांक 19.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भिनाय स्थित खाता संख्या 164 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 2204 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 2474 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 2478 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 2521 रकबा 0.10 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 0.57 है0 आराजी रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी है जिस पर आवागमन एवं कृषि कार्यो का कोई मार्ग नहीं होने

से रेस्पो0 को विधिवत् कृषि कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । रेस्पो0 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2474 व 2478 में आने जाने के लिये खसरा नंबर 2473 व 2476 जो कि अपीलांट के नाम दर्ज है तथा रेस्पो0 के अलावा सुवालाल, मदनलाल पि0 हरदेव भी राजस्व रिकार्ड में इंद्राज है । अतः उक्त खसरा नंबरान में से 15 फीट चौडा रास्ता विधिवत दिलाया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 19.6.2018 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नही ंकि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को बिना विधिवत् सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.6.2018 को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर प्रार्थी/अपीलांट को नहीं बुलाया और प्रार्थी की अनुपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ने बैठकर तैयार की है जबकि तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी इस कारण तहसीलदार को स्वंय मौके पर जाकर जांच करने के उपरांत रिपोर्ट प्रेषित करनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी गोर नहीं किया कि रेस्पो0 ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2474 व 2478 पर जाने के लिये अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2473 व 2476 में से रास्ता हेतु निवेदन किया किन्तु अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 की प्रार्थना से परे जाकर खसरा नंबर 2466, 2470, 2473, 2474, 2476 पर नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया जबकि रेस्पो0 की खातेदारी आराजी पर जाने के लिए पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इस कारण जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो धारा 251–ए के प्रावधानों के अंतर्गत नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 ने जानबूझकर सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । धारा 251–ए के तहत रास्ता तभी कायम किया जा सकता है जब काश्तकार के पास पूर्व से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो तथा रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता हो । बहस में आगे कथन किया कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राज0काश्त0अधि0 1955 के नियम 69 के अनुसार मौके पर स्वंय उपखण्ड अधिकारी अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से उच्च पद के अधिकारी द्वारा ही मौका निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तो पटवारी हल्का द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गइ है जो प्रावधानों के विपरीत होने से इसके आधार पर पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय की सूचना प्रार्थी को उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी । आदेश की सर्वप्रथम जानकारी गांव में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 19.11.2018 को नकल हेतु आवेदन पेश किया ओर दिनांक 20. 11.2018 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर, फीस इत्यादि की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है ।

अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2019 (24) पेज 443, आर0बी0जे0 2017 पेज 687, आर0आर0टी0 2016 पेज 1281, आर0आर0डी0 2016 पेज 699 एवसं मान0 राजस्व मण्डल के निर्णय की प्रति पेश किये ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2473 व 2476 में दर्शाये रास्ते से रेस्पो0 संख्या 1 कदीमी समय से उपयोग में लेते रहे है। अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 के उक्त रास्ते में अवरोध पैदा करने की इरादे से यह अपील पेश की है । अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2473 व 2476 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है तथा न ही रेस्पो0 संख्या 1 कभी उनकी उक्त आराजी में से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया है । यह भी कथन किया है कि अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय की खातेदारी आराजी में अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2473 व 2476 में आवागमन हेतु 15 फीट चौड़े रास्ते बाबत् अनुतोष चाहे जाने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की । उक्त आदेशों की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.6.2018 को मौका रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाई गई है तथा अधी0न्याया0 ने भी पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.6.2018 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत रास्ते बाबत् भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के नीचे के अधिकारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पर रास्ते बाबत् आदेश पारित नहीं किये जा सकते है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । आर0बी0जे0 2019 पेज 443 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि '' धारा 251–ए जब उपखण्ड अधिकारी ने मौका का स्वंय निरीक्षण नहीं किया और न ही भू–राजस्व निरीक्षक से निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई जो 1955 के नियम 69 के तहत आवश्यक है । उपखण्ड अधिकारी ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जो कानूनन सही नही है ।'' उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय

निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.6.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रास्ते के संबंध में तहसीलदार, भिनाय द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर